

कार्यालय आयुक्त  
केंद्रीय माल एवं सेवाकर  
तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क,  
वडोदरा-II आयुक्तालय,  
प्रथम तल, जी.एस.टी. भवन,  
सुभानपुरा,  
वडोदरा-390023 (गुजरात)



Office of The Commissioner  
Central Goods & Service Tax  
and Central Excise,  
Vadodara-II Commissionerate,  
1<sup>st</sup> Floor, GST bhavan,  
Subhanpura,  
Vadodara-390023 (Gujarat)

### व्यापार सूचना सं. 01/2022-23

माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य को "आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM)" के रूप में घोषित किया है एवं इस अवसर पर भारत के नागरिकों को सरकार द्वारा प्रक्षेपित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक और सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजनाकार की परिकल्पना भी की है।

इस श्रृंखला में, केंद्रीय माल एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II आयुक्तालय, सुभानपुरा, वडोदरा द्वारा जीएसटी भवन में 16 दिसंबर, 2022 को अपराह्न 1600 बजे "राष्ट्रीय शिकायत निवारण सप्ताह", जिसके विषय "विचार, उपलब्धियां और संकल्प" पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है

आयुक्तालय में पंजीकृत समस्त करदाता, व्यापार संगठनो/करदाताओं प्रतिनिधियों के संघो से अनुरोध है कि वे जीएसटी व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत/शंका को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का लाभ उठाये ।

(डॉ. प्रेम वर्मा)  
आयुक्त

फा.स. III/Activities.MG/2018-19

वडोदरा, दिनांक: 12.12.2022

प्रति,

- (क) प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, वडोदरा अंचल, वडोदरा।
- (ख) मैलिंग लिस्ट के अनुसार सभी व्यापार संघ।
- (ग) अधीक्षक (संगणक अनुभाग), केंद्रीय माल एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा-II को उक्त व्यापार सूचना को केंद्रीय माल एवं सेवा कर, वडोदरा-II की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- (घ) उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, मंडल- I से XI, सभी करदाताओं के बीच प्रकाशित करने एवं उनकी शिकायतों के निवारण हेतु उपस्थित रहे ।
- (ङ) उपायुक्त (तकनीकी), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, मुख्यालय स्तर पर करदाताओ की शिकायतों के निवारण हेतु ।
- (च) सूचना पट्ट।

कार्यालय आयुक्त  
केंद्रीय माल एवं सेवाकर  
तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क,  
वडोदरा-II आयुक्तालय,  
प्रथम तल, जी.एस.टी. भवन,  
सुभानपुरा,  
वडोदरा-३९००२३ (गुजरात)



Office of The Commissioner  
Central Goods & Service Tax  
and Central Excise,  
Vadodara-II Commissionerate,  
1<sup>st</sup> Floor, GST bhavan,  
Subhanpura,  
Vadodara-390023 (Gujarat)

### **TRADE NOTICE No. 01/2022-23**

On the completion of 75<sup>th</sup> year of independence of the nation, the honourable Prime Minister of India declared the occasion as "Azaadi ka Amrit Mahotsav (AKAM)" and envisaged a planner/calendar to aware and facilitate the citizens of India regarding various schemes introduced by Government for their welfare.

In this series, CGST & C.Excise, Vadodara-II Commissionerate, Subhanpura, Vadodara is organizing an event on "National Grievance Resolution Week" highlighting its theme "Ideas, Achievements and Resolve" on 16<sup>th</sup> December'2022 at 1600 Hrs at GST Bhavan, Shubhapura, Vadodara.

All the taxpayers, tax practitioners and related organisations/associations are requested to take this opportunity to dispel their grievance in respect of GST Mechanism.

(Dr. Prem Varma)  
Commissioner

F.No. III/Activities.MG/2018-19

Vadodara, Date: 12.12.2022

To,

1. The Principal Chief Commissioner of CGST & Central Excise, Vadodara Zone, Vadodara.
2. The Trade Association as per mailing list.
3. The Superintendent (System), CGST & Central Excise, HQ. Vadodara-II for uploading the Trade Notice on Commissionerate website.
4. The Deputy/Assistant Commissioner, CGST & Central Excise, Division-I to XI to publish the Trade Notice amongst all the jurisdictional taxpayers and resolve their grievances.
5. The Deputy Commissioner (Tech.), CGST & Central Excise to resolve the grievances of taxpayers at HQ. level.
6. Notice board.